

MR. SPEAKER: All I can do, if he is not making a statement, is to admit the call attention motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order. I consider that the situation in one of the largest universities in the country which is in the very capital of our country and which has been closed for three days has gone beyond control, and they expect further deterioration. Police were called in inside the campus; they have been beating the boy and girl students mercilessly without parallel. I consider this a fit case for adjournment of the business of the House to discuss the matter. Hence we have given notice therefor. Now we want your considered views. Do you consider the situation to be grave enough or not and if you consider so, we can ventilate our grievances through which forum? You can tell us. (Interruptions).

SHRI S. M. BANERJEE: The Education Minister did not think it proper even to attend Parliament?

MR. SPEAKER: I have already said that because you will not be in a position to ask question if he comes out with a statement *suo motu*, if I allow a call attention motion, Members will be in a position to ask questions and therefore I decided to admit the call attention motion.

SHRI SAMAR GUHA (Contd.): On a point of submission. It is an urgent matter. On some previous occasions more than one call attention motion had been admitted the same day. Here it is not only that the University has been closed but the police also got into the university.

MR. SPEAKER: I am allowing a call attention.

SHRI SAMAR GUHA: Clashes are going on and there is a possibility of further injury and further loss of life. Therefore I suggest that call attention motion should be taken up today, in the evening. There have been precedents.

MR. SPEAKER: I am sorry; I cannot do this time.

SHRI JOYTIRMOY BOSU: Two call attention notices have been admitted by the former Speaker, Dr. Sanjiva Reddy. We should like you to consider that suggestion.

MR. SPEAKER: That was when only one gentleman was asking the call attention motion; now there are five Members asking the call attention motion.

12.15 hrs.

#### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

#### REPORTED LEAKAGE INTO OPEN MARKET OF WOOLLEN GARMENTS IMPORTED AS RAGS

श्री श्री किशन बोदी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक दस्तव्य दें :-

“ऊनी चिमड़ों के नाम पर जायात किए गए ऊनी कपड़ों की खुले बाजार में बिक्री का समाचार।”

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA): Mr. Speaker, Sir, the regulation under which import of woollen rags is permissible against the export of woollen manufactures including knitwear is effective from May 1968. In fact, a

similar regulation was in existence even prior to June 1966, for almost a decade, when, in the wake of the devaluation of the Indian Rupee which took place on 6th June, 1966, all such schemes were withdrawn. Since May 1968, there has been no change in the Scheme which should facilitate the imports of rags into the country to a large extent than before. I may reiterate that the 'Rags' consignments released or seized or pending clearance at the docks are the consignments imported under a Scheme announced in May 1968. The only change in the May 1968 scheme was made with effect from 11th May, 1972 when substantial restriction were introduced. From that date, the import of woollen rags was allowed only to the exporters of shoddy blankets. Having regard to the normal volume of export of shoddy blankets and of other woollen goods, this would amount to a drastic cut indeed in the overall imports of rags into the country.

2. Although the policy covering import of rags between May 1968 to May 1972 has remained unchanged, larger imports have taken place in the last one year or so. This seems to have occurred for three reasons. Firstly, in the May 1971 budget, an import duty of 40 per cent was imposed on raw wool or greasy wool. Secondly, the international price of raw wool as a commodity has of late sharply increased, almost 2½ times. Thirdly the exports of woollen products have gone up by over 30 per cent in value in 1971-72 as compared to 1969-70 thereby augmenting replenishment imports to that extent. These factors created a propensity amongst exporters to make larger imports of rags than they used to do in the past. It may be recalled that the replenishment licence all along has carried the following permissible alternatives:

Raw wool/wool tops/shoddy rags/  
wool waste."

Unfortunately, however, this propensity has got combined with the manipulative instinct of some of our people and instead of importing rags, to be utilised as raw material after being pulled and granetted and spun into yarn, they imported used wearables and these have found their way into the market rather than to the factories.

3. As the matter involves contraventions of the Customs, Import Trade Control and Foreign Exchange Regulations, it has been decided to entrust the matter to CBI for detailed investigations covering all the aspects of the problem, including the possible complicity of the concerned officials or anybody else.

श्री श्रीकिशन बोदी: यह एक गौरव की बात है कि हमारे देश में बुधियाना में स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज इतनी भारी तादाद में चल रही हैं और क्वालिटी का मास बनाती हैं। प्रधानमंत्री ने एक वक्ता यह कहा था कि लोग इम्पोर्टेड स्वेटर लाते हैं, जो कि वास्तव में बुधियाना के बने हुए होते हैं। वे फब्क के साथ कहते हैं कि हम इम्पोर्टेड स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वेटर बुधियाना के बने होते हैं। वहां एक लाख भादमी हर मास छः लाख स्वेटर बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में 40 परसेंट की कन्सेशन इन्हें लिए दी जाती है कि एक्सपोर्ट करने में वे जो नुकसान उठाते हैं, वह किसी रूप तक पूरा किया जा सके। इस पालिसी से एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। पिछले साल डेढ़ करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ और इस साल बाई करोड़ का। एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, लेकिन हुआ यह है कि इम्पोर्ट लाइसेंस ती रोज या परा-

[श्री श्री किशन मोदी]

ऊनी कपड़ों के नाम से होता है, मगर यहां के चालाक और होशियार लोग पुराने ऊनी कपड़ों के बजाय अच्छे टैरीलीन और ऊनी कपड़े और रेडी-मेड कपड़े ले आये, उन को जरा जरा फाड़ दिया और इस तरह कस्टम बालों की आंखों में धूल झाँक दी।

यह बड़ी हैरानी की बात है कि रोज के बजाय पुराने कपड़े आ जायें और कस्टम उन को एलाऊ कर दे। कस्टम की चोरी हुई, अंडर-इनचायसिंग हुआ, ढाई करोड़ के बजाय दस करोड़ रुपए का कपड़ा आ गया और बाजार में आ कर बिक गया। यह इम्पोर्ट लाइसेंस इस लिए दिया गया था कि लुधियाना की इंडस्ट्री और चमके और पांच करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो। लेकिन यह हुआ यह कि वह सारा माल इंडस्ट्री में नहीं पहुंचा और मार्केट में पहुंच गया। इंडस्ट्रीज बेचारी री रही हैं। उन का प्रोडक्शन रुक गया है। उन का माल महंगा होने के कारण बाजार में बिक नहीं रहा है और वह सस्ता माल बिक रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो कस्टम की चोरी हुई, क्रम्बल और होजरी की इंडस्ट्री को नुकसान हुआ और फारेन करेन्सी यहां आई, उस के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं श्री मिश्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस समय हमारी कमेटी में यह सवाल उठा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी गांठें जब्त कर ली हैं और एनक्वायरी करने के लिए आर्डर दे दिए हैं और जल्दी से जल्दी एनक्वायरी कर रहा हूँ। इस एनक्वायरी में यह पता लगाया जाये कि जो नुकसान हुआ है उस की जिम्मेदारी किस पर है। क्या इसके लिए

वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज समाजवाद की बात की जाती है। मैं मांग करता हूँ कि एनक्वायरी में यह पता लगाया जाये कि इस के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं पुराने कोटों की बात नहीं करता हूँ। वे पुराने कोट तो गरीब जनता को दस पांच रुपए में मिल जाते हैं। पुराने कपड़े के नाम पर जो नया कपड़ा आया है, मैं उस की बात कर रहा हूँ। और इतनी बड़ी चोरी हो रही है उस के बारे में आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं? मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन व्यापारियों को भविष्य में लाइसेंस देने के बारे में क्या आप कड़ाई बरतेंगे।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप के इस आंतक से कहीं ऐसा न हो कि लुधियाना की सारी इंडस्ट्री बन्द हो जाय और सारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच जाय। कहीं ऐसा न हो कि ईमानदार आदमी भी चोरो के साथ साथ मारे जायें। इसलिए आप से विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि लुधियाना की इंडस्ट्री जो कि हमारे हिन्दुस्तान के लिए गौरव की बात है उस को हमें नष्ट नहीं करना है। इस के अंदर बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात का निरीक्षण करना है कि कौन बेईमान है और जो बेईमान आदमी है जिन्होंने यह काम किया है उन को सजा मिलनी चाहिए चाहे वह व्यापारी हो चाहे वह सर्विसेज में कस्टम में काम करने वाले हों और चाहे कोई मंत्री हों कोई भी गवर्नमेंट के आदमी हों उन को इस की सजा मिलनी चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री एल. एन. सिन्धु : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह मेरे व्यान की एक तरह से पुष्टि की है। बात यह चिन्ता की है। हम ने भी चिन्ता जाहिर की है। जहाँ तक लघियाने के व्यापारियों का, इस उद्योग का सम्बन्ध है जो होजियरी बनते हैं, उन के इंटेरेस्ट का जहाँ तक सवाल है उसका तो ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे देश से बहुत ज्यादा माल बाहर जाता है और हम ने जो कमिटमेंट किया है, हमारा जो सौदा है पूर्वी देशों के साथ, होजियरी का लम्बा कमिटमेंट है। उस को हम बन्द नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि इस का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जिन्होंने कि एक्ट आफ वायलेशन किया है जिन को कि हम ने लाइसेंस दिया चम्पा मंगाने के लिए और उन्होंने यह कागज मंगा लिया तो यह तो वायलेशन हुआ क्यों कि उन से हमने जो चीज कही थी, जैसे हमने कहा था, रैस मंगाने के लिए, रैस का लाइसेंस दिया था, कपड़े मंगाने के लिए चाहे वह सिले हुए हों या दिखावटी ढंग के बना दिए गए हों, इस तरह की चीज जो लाए हैं उस के लिए लाइसेंस नहीं दिया है जिसका उन्होंने आफस कमिट किया है, इस में कोई दो राय नहीं हो सकती इस लिए उन पर कोई न कोई कार्यवाही करनी है और कार्यवाही हुई है। इस को मैं और बतला देता हूँ। तीन चार डिपार्टमेंट्स का इससे ताल्लुक था। पहले तो फारेन ट्रेड वालों से था। जब हमें इसकी सूचना मिली तो वित्त मंत्री को तुरन्त खत लिखा कि इस तरह की बातें हुई हैं, पोर्ट पर ढिलाई

हो सकती है, क्यों कि उन के पास कापी रहती है लाइसेंस की, जिस चीज का लाइसेंस रहता है, वही चीज आने देनी चाहिए और खोल कर देखना चाहिए। उन्होंने तुरन्त कस्टम वालों को पत्र लिखा और कस्टम वालों ने रेड किया। बहुत सी गार्डें पकड़ी। अगर आप सूचना जानना चाहें तो मैं बता दूँ—लगभग 6 हजार वेल्स तो क्लीअरेंस में बम्बई कस्टम पर पड़ी हुई हैं। 14 हजार वेल्स इम्पोर्टर लोगों के गोदाम में पड़ी हुई हैं और 24 सौ के करीब होलसेल डीलर्स के पास पड़ी हुई हैं। यानी सब मिला कर करीब पौने तीन करोड़ रुपए का माल हम ने जप्त कर रखा है और उस के बारे में सूचना होगा। क्योंकि जब यह रेड हुआ उन के घरों में तो इस के अलावा और भी कानूनों को भंग उन्होंने किया है, इस का भी पता लगा। उन्होंने ओवर इनवायसिंग और अंडर-इनवायसिंग भी किया है, और भी तमाम आफेंस उन्होंने कमिट किए हैं। इसलिए इस को देखना होगा। यह बात सही है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। मगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो कानून को भंग करे उस की हम मदद करते जायें। एक्सपोर्ट करने वाले या बेचने वाले बहुत से लोग हैं, चार सौ पांच सौ पार्टीज हैं और यह जो आफेंस कमिट किए हैं वह मुख्यतः सात आठ आदमी हैं जिन्हें रैस का लाइसेंस मिला था। एक जगह सात आठ आदमी और दूसरी तरफ चार पांच सौ। कुल मिला कर यह 12-13 आदमी हैं जिन के नाम एस. टी. सी. ने दिए हैं। इसलिए 12-13 के कुसूर के लिए हम सब को सजा नहीं देना चाहते हैं। ये 12-13 जो हैं

[श्री एस. ए. कडर]

वे बड़े लोग हैं और उन्हीं लोगों ने मुख्यतः रैस के बदले में कपड़े लाने का काम किया है।

इन पर हम कार्यवाही करेंगे। यह भी हमने कहा कि एस टी सी भी एक पार्टी है क्योंकि वह कनेलाइज्ड प्रायटम है। वह क्या करते हैं कि माल खरीदा ग्लोबल ट्रेडर पर और अधिक प्राइस पर बेच दिया। एस टी सी वालों ने भी कस्टम को लिखा कि हमें खबर आई है कि रैस के बदले कपड़े आ रहे हैं, इस को आप देखें। उन की चिट्ठी भी आई। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि एक कमेटी बना दी जाए ताकि हम लोग देख सकें। यह 1971 की बात है। उन्होंने कहा कि हम देख-रेख करेंगे। दूसरी पार्टी हो जाती है फारेन ट्रेड मिनिस्ट्री। हमारे पास अब लोग आए, यह सूचना हमें मिली तो हमने चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने भी तत्परता से रैड करवाया। इसलिए जिनको जो करना चाहिए था वह उन्होंने किया। यह एक प्रन-फारबुनेट चीज हो गई। लेकिन इस का जो उपाय यही है कि जो कानून का रास्ता है वह अपनाया जाय। कानून के रास्ते में जो दोषी होंगे उनको सजा होगी और इसमें किसी तरह की डिलाई नहीं की जायेगी। हमारी बहुत तत्परता है इसमें।

SHRI S. A. KADER (Bombay Central-South): Sir, I am happy that the government has accepted that there is nothing wrong in the whole affair of the rags scandal. There are so many affairs that must be going on. This is an affair which has come out, possibly because of some in-fighting or some other reason, and it has come in the papers. It is said that affairs

like sex-affairs come out occasionally and then they become a scandal. Otherwise, many affairs go unnoticed. This is one affair which has come out in such a way which attracted notice.

MR. SPEAKER: He seems to have a very long experience.

SHRI S. A. KADER: It is a good thing that the House is seized of the rags scandal.

There are five agencies involved in this. They are the licensing authorities, finance, customs, STC and the importers.

SHRI JYOTIRMAY BOSU (Diamond Harbour): What about political donations?

SHRI S. A. KADER: I am not aware of it. I do not want to go into it. If you have some information, you may supply it. In this case the role of the STC has to be looked into. There was a news item in one of the papers about the role of the STC, and I hope the hon. Minister will clarify how far it is correct. I am reading that extract:

"The role of the State Trading Corporation in this rags scandal is yet to be fully explained. Rag imports are canalised through the STC. Apparently, the normal practice is for the holders of the export entitlement to conduct negotiations with foreign partners."

Here the Minister has stated that the STC conducts the negotiations and purchases. But it is stated here that the parties should conduct the negotiations and make purchases and STC just signs it. It further says:

"The goods are then normally transferred to the importers while they are still on the high seas so as to avoid payment of sales-tax. The procedure makes it clear that

The STC was technically responsible for the consignment of bogus rags at the time this was loaded on to the ships. However, the STC did not agree to inspect the consignment even after it has come to know that in many cases the rags were actually garments."

What is the role of the STC? I think we created STC with the object of eliminating middlemen so that there will be direct contact between manufacturer or producer and the consumer. Now the way the STC is functioning, it looks as if one more middleman has been created.

Whatever may be the reference to the CBI—I will come to it later on—I would like to know whether a reference has been made as to how many STC officials are engaged in private business through the partnerships of their wives, daughters or relatives. So, that also should be looked into. As the information is or as the talk is, many of these officials have their share in imports and exports of these items. They also connive at such things. Otherwise, such things cannot happen.

About the Customs authorities, we know what the Customs authorities are. They are very strict where there is no incentive. But they are not strict where there is a lot of incentive. This is the custom. At one time, an American friend told me that the Sheikh in Dubai was very happy that one of his consignments worth about Rs. 80 lakhs was caught at Bombay. The American asked the Sheikh, "How is it that you are so happy at the loss of consignment worth Rs. 80 lakhs?" He replied, "Yes. One consignment worth Rs. 80 lakhs has been confiscated. It was planned like that. That means other things have been passed. The things worth crores of rupees have been passed. Only a consignment worth Rs. 80 lakhs has been confiscated." This is how it happens.

There is a *Hafta* system (instalment system) that we have in Bombay. It is that you can smuggle things but, at the same time, you should give cases where the Customs can catch you red-handed and show to the Government that the Customs authorities are very active.

There are so many persons who are coming from foreign countries. We know how they are checked. It is those people who bring in a large number of things. We know how they are cleared. These things should be looked into by the Customs.

Now, the C.B.I. has been entrusted with the job. The C.B.I. is a part of the administration also. All the officers of administrative departments are known to each other as brother officers. I do not know how the CBI officers will be sitting in judgement of another set of brother officers to find out the fault and bring it to the notice of the Government. I do not know how much faith has the Minister got in the CBI; how much he depends on it. I am very reluctant to admit that much will come out of the CBI inquiry. Nothing will come out of it.

How much time they will take to give the report? This type of things are being done. Is it in the interest of the country or not? Should an administrative action be that it should be referred to the C.B.I.? What are the other people for? Why is it that the administration is not working properly in the interest of the country. Why is it that the administration is so maligned? It is openly said that unless and until a bribe is given, no work can be done at the administrative level. That is what is being said. This rag scandal is a proof of that. It has been admitted by the Government and they are referring it to the CBI.

I do not know when the CBI report will come. It might take one or two months or even a year. By the year

[Shri L. N. Mishra]

end, the rags will be torn to rags and nothing will remain of the rags. I would like to know from the hon. Minister as to what is the time-limit that he has fixed for the CBI to give report on the rags scandal. That is the most important thing. It should not take more than a month. That report must be placed before the House for its consideration or a discussion.

As my hon. friend pointed out, so many factories are in a soup as far as the raw material is concerned. The Minister has admitted that about 35,000 bales or whatever it is are under custody. The raw material is required for the factories where thousands of people are employed. Is he going to wait till the CBI report comes and then release those things or is he going to take action immediately? This raw material must be released and supplied to those people who run the factories.

What is the plan of the Minister as far as giving raw material to the industry is concerned? Even today there is a shortage. As my hon. friend, Mr. Modi, has pointed out, in Ludhiana and other places there is shortage of raw material. What action is the Minister going to take, i.e., short-term arrangement, to make available the raw material required by them? Also I would like to know about the time-limit of CBI, whether it is a complete reference to CBI and as to the subject of inquiry.

**SHRI L. N. MISHRA:** It is difficult to put any time-limit for investigation. It is for the CBI people to go into it. They alone can suggest how long it will take. The suggestions given by the hon. Member will be passed on to the CBI. I cannot commit myself on behalf of the CBI.

About the release of bales there is no question of evidence. The Magistrate has to go into it; it is for the CBI to say when it will be in a position to release those bales. Today it is in the possession of Customs. When

CBI starts the inquiry, it will go to the CBI, then they will be in a position to say when the bales will be released. This difficulty is there. As has been said earlier, our industry may suffer for some time. Other alternatives can be found. It will be my endeavour to see that the industry does not suffer. Moreover, I will say this. The rags are mostly used for cheap blankets, cheap jerseys, etc., which are used for domestic purposes. Apart from these, Ludhiana is known to export woollen products. Therefore, I will not deny that the industry will not be affected. It might be affected. But it will be our endeavour to see that the industry does not suffer. Both the things cannot be there. We want an inquiry and prosecution of the offender, rightly so; I also want it. If, in that, some dislocation is caused, then we have to accept it.

The hon. Member wanted to know about the role of STC. STC have evolved a procedure under which they arrange purchase of shoddy rags on competitive, global tenders. The samples are approved by the users. The consignments are also transferred to the allottees over highseas as in the case of many other commodities. The second role is this. STC were aware of the likely import of usable garments against licences issued for rags, and it was for this reason that they wrote to the Collector of Customs, Bombay, on 27th May, 1971 suggesting constitution of an inter-departmental committee comprising of customs officials, Textiles Committee and STC officials for inspection of the imported rags consignments before clearance. Since STC does not directly handle the imported cargo on arrival, it is not in a position to know the contents of it. STC charges a nominal commission of three per cent. (*Interruptions*). About the other things, they are separate questions. The question of integrity of the officials of the STC can be looked into. But, by and large, STC is doing good work and we should not run down this public sector unit which has established a record of its own.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, एक बड़ा राष्ट्रीय गोल-माल प्रकाश में आया है, लेकिन यह सोचना गलत होगा कि यह गोल माल केवल इसी साल हुआ है। कई वर्षों से सिल-सिलाये कपड़े लाए जा रहे हैं। विदेश व्यापार मंत्रालय को न मालूम हो ऐसी बात नहीं है। कस्टम इस प्रकार के कपड़े लाने की छूट देता रहा है। जैसे जैसे हमारा निर्यात बढ़ता गया और विदेश व्यापार मंत्रालय ने पूरी कोशिश की है कि निर्यात बढ़े, उस निर्यात के बदले में उन को छूट दी गई कि वह 60 प्रतिशत माल विदेशों से ला सकते हैं और उस माल में कहा गया है कि वह रेंस ला सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि रेंस के नाम पर सिले सिलाए कपड़े पहले से आते रहे हैं। इस बार जो बाजार में उन की बाढ़ आई है उस की वजह यह है कि इस बात निर्यात भी बढ़ा है और आयात भी बढ़ा है। पहले जो निर्यात 4 करोड़ का था वह अब 14 करोड़ का हो गया है और 14 करोड़ का निर्यात करने वालों को इस बात की छूट दी है कि वह 60 प्रतिशत के हिसाब से विदेशों से माल ला सकें। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि सिले सिलाए कपड़े पहले से आते रहे हैं और जो लाने वाले हैं वे तर्क यह देते हैं कि हम तो साहब, फट फटे लाना चाहते हैं लेकिन उन के यहां फटे मिलते ही नहीं हैं और अगर वह फटे की जगह सिले देने को तैयार हैं तो वह हम ले आते हैं क्योंकि हमें उन का उपयोग करने की जरूरत है। मंत्री महोदय ने ऐसा वक्तव्य दिया है जैसे यह समस्या

पहली बार आई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने निर्यात के लाइसेंस दिए तो क्या वह जो सामान भेजते हैं, स्वेटर भेजते हैं, शाल भेजते हैं, उन के लिए कच्चे माल का भा प्रबंध उन के मंत्रालय ने किया है? सरकार चाहती है कि स्वेटर बाहर जायें, शाल बाहर जायें लेकिन जिस कच्चे माल से वह माल बनेगा और बाहर भेजा जायगा वह कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। कच्चे माल को बाहर से लाने के लिए लाइसेंस दिया गया और रेंस क्या है, उसकी बड़ी बड़ी परिभाषा की जा रही है। कोई मुझे आक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल कर दिखा रहा था कि रेंस में पुराने कपड़े भी आ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह निर्यात आयात नीति कैसी है कि निर्यात के बढ़ाने पर तो जोर दिया जाता है लेकिन उस के लिए कच्चा माल देश में उपलब्ध होना चाहिए उस का प्रबंध नहीं करते क्या कारण है कि निर्यात बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह 60 प्रतिशत माल अगर लाने की छूट दी जायेगी तो इस का दुरुपयोग होगा और आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। वह कहते हैं कि व्यापारी भ्रष्ट हैं, सरकारी अफसर भी भ्रष्ट हैं, गोलमाल कर सकते हैं, मगर जिन्होंने इस नीति को निर्धारित किया वे भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अभी एलान किया गया कि सी०वी०आई० एन्क्वायरी करेगी। कई मंत्रालय इस में शामिल हैं। सी०वी०आई० छोटी छोटी मछलियों को भले ही पकड़ लें मगर बड़े बड़े मगरमच्छों का क्या होगा? सी०वी०आई० उन का स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सारे गोलमाल की जांच के लिए एक पाश्चिमा  
मेंत्री कमेटी होनी चाहिए। पालियामेंट्री कमेटी  
की मदद के लिए सी०बी०आई० की सहायत  
ली जा सकती है। अभी कांग्रेस के एक सदस्य  
ने कहा कि कोई भी दोषी हो, अफसर दोषी  
हों, मंत्री दोषी हो, उन को सजा मिलनी  
चाहिए। मैं उन के इस कथन का स्वागत  
करता हूँ। लेकिन क्या सी०बी०आई० की एन्क-  
वायरी किसी मंत्री को पकड़ सकती है?  
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मंत्री महोदय  
दोषी हैं। मेरी कामना है कि वह बिलकुल  
निर्दोष साबित हों और मंत्री महोदय ने  
माना कि यह मामला इसी सदन का नहीं है  
जब वह मंत्री नहीं हैं तब से यह चल रहा  
है। इसलिए पालियामेंट्री कमेटी आप बनाइए,  
मेरी प्रार्थना है और अगर पालियामेंट्री कमेटी  
आप नहीं बनाना चाहते तो मान यह मामला  
सी०ए०सी० को सौंप सकते हैं जिस में सभी  
दलों के सदस्य हैं और पब्लिक एकाउन्ट्स  
कमेटी इन मामले पर चर्चा कर सकती है,  
जांच कर सकती है। उस की रिपोर्ट सदन  
के सामने बहस के लिए आ सकती है। . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप तो चयरमैन रहे  
हैं, कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि आप  
कहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो बात कही न जाती  
हो वह कहते हैं कि स्पीकर कर सकते हैं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Can the  
Chairman take it up *suo motu*?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:  
You can refer it, Sir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The House  
can.

SHRI PILOO MODI (Godhra): I  
am referring it to you.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष  
महोदय, अब मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता  
हूँ जरा विदेश व्यापार मंत्री ध्यान दें। उन्हें  
पता है कि जो बाहर सामान भेजते हैं और  
जो माल लाते हैं उन की दो श्रेणियाँ हैं।  
एक तो शादी मिल आनर्स हैं और दूसरे  
निर्वाता हैं और निर्यातक हैं। जो माल  
बाहर भेजता है उसे भी कच्चे माल की आव-  
श्यकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या  
यह सब है कि सरकार ने 26 शादी मिल  
बालों को इस बात की छुट्टी दे दी है कि वह  
अपना माल उठा लें। क्या कस्टम  
से कहा गया है कि उन को माल देने से पहले  
उस माल को फाड़ दें, चीर दें और वह  
माल ले जा सकते हैं। अगर ऐसा किया  
गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी  
के जो लोग हैं उन का माल सरकार जब्त  
करे या इस समय अपने अधिकार में रखे  
इस का क्या अर्थित्व है ? नीति सब के  
लिए क होनी चाहिए। पुराने कागडे वालों  
को दोहरे गज से नापने की कोई आवश्यकता  
नहीं है।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ  
कि एन्क्वायरी के चलते हुए अगर मान पड़ा  
रहेगा तो पंजाब में जो संकट आया है कार-  
खानों के बन्द होने का, मजदूरों के बेकार  
होने का उस संकट को हल करने के लिए

क्या किया जायगा ? क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि अगर मिले सिलाए कपड़े आए हैं तो उन की बिम्बियां बना कर कच्चे माल के रूप में उन्हें उपयोग करने की छूट दे दे ? आवश्यकता हो तो उन पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, उन को दंडित किया जा सकता है। लेकिन अष्ट उद्योग-पतियों की करतूतों के लिए उद्योग नष्ट हो जाय, मजदूर, संतप्त हों इस का कोई प्रोचित्य नहीं है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस बात की दृष्टि करें कि क्या यह सब है कि यह विवाद कई महीनों से चल रहा है और कभी विदेश मंत्रालय, कभी वित्त मंत्रालय, कभी कस्टम वाले, कभी एक्ससाइज वाले कोई फैसला नहीं होने दे रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि माल जो पड़ा है उस का फैक्टरी वाले और अन्य जो एक्सपोर्टर्स हैं वह उपयोग कर सकें, इसका कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल सका। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि अगर जाय चलेगी तो हमें सबूत के लिए माल चाहिए, माल की एक सूची बनाई जा सकती है। उम माल के जो टुकड़े कर के दिए जाने हैं वह दिए जा सकते हैं। और मैं समझना हूँ कि इस तरह का रास्ता निकालना होगा कि जिन्होंने अष्टाचार किया है वह दंडित किए जायें और भविष्य में इस प्रकार का, अष्टाचार न हो सके इस का प्रबंध किया जाय। लेकिन साथ ही मजदूरों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े।

श्री एन० एन० सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने जो बातें उठाईं वह दो तरह

की हैं। एक तो इन का यह कहना है कि उद्योग कैसे चलेगा, मजदूरों की क्या हातत होगी यह सब से ज्यादा चिन्ता की बात है। उन के साथ मैं भी यह किन्ना रख रहा हूँ। उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वह इस विषय में सोचते हैं हम लोग भी सोचते हैं। तरह तरह के सुझाव हमारे सामने आये और हम ने भी रखे हैं कि ऐसा किया जाय कि इन्वैट्री बना कर उस को रिलीज करें, स्पूटिलेट कर के, तोड़ ताड़ कर के उस को मिल की दे दें।

दूसरी बात यह हुई कि उस को मैजिस्ट्रेट के सामने लावें। हर तरह की बातें आईं। दो तीन कान्फ्रेंस हम ने कीं जिन में सी०बी० आई० के डायरेक्टर आये, सैट्रल ब्रोडिंग आफ रेवेन्यू के जो सब से बड़े अधिकारी हैं, उस के चेयरमैन, वह आये, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी आये। सभी लोग बैठे और उन्होंने सोचा कि कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाये जिससे हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन पर कोई आघात न आये। बहुत सी बातें हुईं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दो तरह की बातें हुईं। हम लोगों ने फैसला किया कि जितनी भी इसकी आलोचना हो उसको हमें सहना होगा। इंडेपेंडेंसी की बात भी उठाई जाय और इंडस्ट्री की बात भी की जाये। हम लोगों ने काफी सोचा बसा। और इस को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम छोड़ दें या यह कहें कि इस को इस तरह से करो। हम ने सोचा कि सीधा रास्ता यह है कि सी०बी०आई० से कहा जाय कि वह अपनी राय दे और वह

[श्री एल० एल० मिश्र]

जो राय दे उस को हम करें क्योंकि अखबारों में से जैसे हवा बांवी गई और जिस तरह से संसद सदस्यों ने चिट्ठी लिखी उस को हम लोग समझते हैं। उस से ऐसा वातावरण बनाया गया मानो कोई पार्टी इन्वाल्ड है। कांग्रेस पार्टी है, एलेक्शन फंड है। आज के हो अखबार में निहता है, श्री वाजपेयी का अखबार है, आप उस को उठा कर देख लीजिए। हम लोग भी राजनीति के आदमी हैं और राजनीति में रहना चाहते हैं। अगर इस तरह की बातें उठाई जायेंगी तो दिक्कत पैदा होगी। आप इससे भाग नहीं सकते। लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि किसी तरह की छूट न हो। इन्वेंट्री बना कर कुछ कर सकें तो करें या सी०वी०आई० से करवान की कोशिश करें। लेकिन उन के रास्ते में कोई दखल नहीं दे सकता। जो रास्ता वह बतलायेंगे उसी रास्ते से हम काम करेंगे।

जहां तक कच्चा माल लाने की बात है, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो उस के लिये इम्पोर्ट भी होता है। लेकिन उसका जो आंकड़ा बतलाया गया है वह सही नहीं है। इस साल 34 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ है वुलेन गार्मेंट्स का, 14 करोड़ का नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम रिप्लेनिशमेंट देते हैं 7 परसेंट। वुलेन कार्पेट्स के लिये 15 से 40 परसेंट देते हैं और वुलेन टक्सटाइल पर 70 फीसदी देते हैं, वुलेन होजरी पर 60 परसेंट और रेडी मेड गार्मेंट्स पर 52 परसेंट की छूट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 14 करोड़ की होजरी है।

श्री एल० एल० मिश्र : मैंने अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट में कहा है कि अगर कोई 100 रुपये का माल बेचे तो 60 रुपये उन्हें दे दिये जायेंगे जिससे वह चार चीजें ला सकते हैं। वूल टाप्स, शाडी रैग्ज, रा वूल ऐंड वूल वेस्ट। इसलिये कच्चा माल लाने के लिये जो सुविधायें हम देते हैं और एक्सपोर्ट से जो कमाते हैं उस से रिप्लेनिशमेंट देते हैं। इसके अलावा 15-16 करोड़ रुपये का ऊन मंगा कर देते हैं। अगर माननीय सदस्य हमारी व्यापारिक सन्धियों को पढ़ते होंगे तो उनको मालूम होगा कि जो ऊन उगाने वाले देश हैं उन सबों से हम कच्चा ऊन मांगते हैं, क्वालिटी ऊन मांगते हैं। आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहां आये थे। उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि हम देंगे। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि करे योजना नहीं। (व्यवधान)

जहां तक यह सवाल है कि यह बात पहली बार हुई है, यह बात सही है कि इस मात्रा में पहली बार माल पकड़ा गया है। (व्यवधान) लेकिन मैं कहता हूं कि यह पहली बार नहीं है। यह चीज 1968 से चल रही है। तीन वर्ष बाद 1971 में एस०टी०सी० वालों से खबर आई। यहां पर मैं यह चीज बतला देना चाहता हूं कि पहले इतनी मात्रा में यह चीज नहीं आती थी। इसके लिए तीन फ़ैक्टर जिम्मेदार हैं। एक तो कर लगा दिया है, ड्यूटी लगा दी है और दुनिया में ऊन 250 प्रतिशत महंगा हो गया है। हमारी सरकार

ने भी ड्यूटी लगा दी है। जब ऊन लाना—उनके लिये संभव नहीं रहा तब वह लोग इस काम को करने लगे। सारा बिजनेस 13-14 करोड़ का होता है अगर सब जोड़ा जाये। इतने बड़े देश की एकानमी में इस तरह की बात कहना इस को मैग्निफाई करना है। यह ठीक है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिये, लेकिन अगर इस तरह से अतिरंजित करके इस चीज को रक्खा जाये तो आखिर इस देश की एकानमी चलेगी कैसे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

श्री एल० एन० मिश्र : यहां पर छूट देने की बात कही गई। अगर छूट देने की बात होती तो क्या हम देते नहीं ? हमने किसी को भी छूट नहीं दी है और न देने वाले हैं। जिस ने भी अप को ब्रीफ किया है शायद उसमें ज्यादा समझ नहीं थी। पिछली जुलाई में श्री एच० लाल ने एक बिट्टी लिखी थी कि इन मालों को म्यूटिलेट करके, तोड़ ताड़ करके जो काटेज इंडस्ट्री चलती है उनको दे दिया जाये। लेकिन वह भी जुलाई के महीने में सिर्फ 3 लाख रुपये का माल रिलीज हुआ। लेकिन हमने किसी को छूट नहीं दी है, न 26 को, न 24 को, न 2 को और न एक को।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order: He did not clarify why Government did not take any steps before this was brought to notice in the press.

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur):  
I am not putting a question....

MR. SPEAKER: What else is he doing? I am sorry. I cannot allow it.

SHRI S. M. BANERJEE: \*\*

MR. SPEAKER: It will not go on record. No member should speak without my permission.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): It is necessary that the most deterrent punishment is given to those who have tried to contravene the rules. Now that it has grown in proportions, a most thorough probe has to be made of the same. All the same, I do not think that a lot of time is needed for it. The CBI inquiry is welcome. The assurance of the Minister is welcome. All the same, the stock should be confiscated, mutilated and released in order that the industry in Punjab does not suffer. The Minister should also make through his Intelligence the deepest probe to find out how it is done so that in future this sort of thing is prevented, the import of woollen garments is stopped. I would like to know what steps the Minister is taking in this direction.

SHRI L. N. MISHRA: I have answered most of the questions. The only thing remaining is about the future. We have not yet decided finally; we will examine it and try to make it—I cannot say foolproof—as possible.

भी घटल बिहारी बाजरेबी : मैं ने कहा था कि पार्लियामेंटरी कमेटी इम की जांच करे। क्या मंत्री महोदय को पार्लियामेंटरी कमेटी में विश्वास नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट में भी एक विजिलेंस बिग बना दिया जाये।

12.59 hrs.

#### QUESTION OF PRIVILEGE

ALLEGED ASSAULT ON SHRI K. MANOHARAN, M.P. AT MADRAS AIRPORT

MR. SPEAKER: Shri K. Manoharan. He has given notice of a Motion of Privilege.

SHRI K. MANOHARAN (Madras-North): Mr. Speaker, what I am going to say or read is a direct passionate appeal to the conscience of the member of this House (Interruptions). I request my hon. friend, Shri Piloo Mody, to have some patience. What I am going to say is from the bottom of my heart, with a mental anguish.

SHRI PILOO MODY (Godhra): I did not say anything.

13 hrs.

SHRI K. MANOHARAN: Mr. Speaker, Sir, I wish to bring to your notice an incident that took place at the Mennambakkam airport last evening when I was proceeding to emplane for Delhi for attending the Parliament session today. About 30 hooligans....\*\*

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame.

SHRI G. VISWANATHAN (Wavdi-wash): Sir, I rise on a point of order. (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will call you after he finishes the statement.

SHRI G. VISWANATHAN: A point of order cannot wait for his finishing his statement. (Interruptions). The point of order cannot wait till he finishes his statement. (Interruptions)

SHRI K. MANOHARAN: May I proceed, Sir?

MR. SPEAKER: Just a minute. I think this point of order raised by Mr. Viswanathan has much weight in it. I would be very happy if you just mention the names of the people or the group of people, but to bring in certain names of certain dignitaries ... (Interruptions)

SHRI G. VISWANATHAN: \* \*

He is a defector. He has defected from the DMK party.\*\* He talks about conscience. He has sold his conscience.

MR. SPEAKER: I have been listening point of order?

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharamapuram): Sir, on a point of order. (Interruptions).

MR. SPEAKER: I have been listening in this House to all the Members but then—(Interruptions).

SHRI G. VISWANATHAN: Till Monday last he was in the DMK.

MR. SPEAKER: When he is hurt, he has the right to bring it to this House as a Member.

SHRI G. VISWANATHAN: Let him withdraw it. (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will look into it.

\*\*Expunged as ordered by the Chair, vide Col. No. 223.